हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुयें
पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच में पेश हुयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं सह–खातेदारों द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के आधार पर प्रकरण लोक अदालत की भावना से स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामान्तरकरण संख्या 66 दिनांक 21.12.2001 को निरस्त कर इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि संबंधित तहसीलदार अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई व सबूत पेश करने का मौका देकर तथा अपीलान्ट के दस्तावेजात की जांच कर पुनः विधि सम्मत नामान्तरकरण तस्दीक करे। विस्तृत पंचाट पृथक् से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत, बैंच

14.5.22
न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत, बैंच

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:38:09 IST
Reason: SelfAttested